डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 11 ● भोपाल ● 1-15 नवम्बर, 2017 ● पृष्ठ 16 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

श्री सारंग द्वारा सीहोर में भावान्तर भुगतान योजना का शुभारंभ

भोपाल। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने सीहोर जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी प्रांगण में भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया। श्री सारंग ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना राज्य में किसानों की दशा और दिशा बदल देगी। उन्होंने कहा कि शासन की कृषक हितैषी नीतियों के कारण ही राज्य कृषि क्षेत्र में देश में अग्रणी है।

इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री सारंग ने उपज विक्रय करने वाले प्रथम पंद्रह कृषकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम मे विधायक श्री सुदेश राय, सीसीबी अध्यक्ष श्रीमती उषा सक्सेना, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अमीता अरोरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे।

श्रीमती रेणु पंत आयुक्त सहकारिता

भोपाल। श्री रेणु पंत, आई.ए.एस. गत दिनों आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व में श्री आशुतोष अवस्थी, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल थे जिनका स्थानांतर कमिश्नर, सागर संभाग हो गया है।

किसानों की आय को दो गुना किया जाए

ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की खरीफ फसलों की समीक्षा तथा रबी फसलों की तैयारियों की कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मीणा ने समीक्षा की

ग्वालियर। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पीसी मीणा ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिलावार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रत्येक जिले में इस योजना के अपेक्षा के अनुरूप सुखद परिणाम परिलक्षित होना चाहिए।

उन्होंने इस वर्ष कम हुई बारिस पर चिंता जताते हुए कहा कि अल्प वर्षा को ध्यान में रखकर किसानों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से यह बताया जाये कि कम पानी में फसल की कौन सी किस्में अधिक से अधिक पैदावार की जा सकती हैं। वैकल्पिक फसलों की बौनी पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। श्री मीणा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की खरीफ फसलों की समीक्षा तथा रबी फसलों की तैयारियां की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मोती महल स्थित मानसभागार में आयोजित बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मीणा ने रबी फसल की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि फसल कटाई का प्रयोग नीतिगत हो, इसमें विसगंति नहीं होना चाहिए। फसल की वास्तविकता को देखते हुए कटाई प्रयोग की रिपोर्ट तैयार हो कलेक्टर इस ओर विशेष ध्यान दें तथा कृषि उत्पादन का सही आकलन सुनिश्चित करायें ताकि उनकी आय में कमी न हो और वे उत्तरोत्तर कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कर सके। श्री मीणा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में किसानों को चने की फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने व्यवसायिक फसलों के लिए भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

(शेष पृष्ठ 15 पर)

राज्य मंत्री श्री सारंग ने की नवाचार सेल की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में प्राथमिक सहकारी साख समितियों के कम्प्यूटराइजेशन और विभाग में सहकारिता विभाग की नवाचार सेल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के सी गुप्ता और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खण्डवा
2. भोपाल सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., भोपाल
3. कृष्णा मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल

64वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह, 2017

कार्यक्रम

अखिल भारतीय स्तर पर प्रति वर्ष 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में 64वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का 14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 2017 तक आयोजन किया जाना है। इस वर्ष के सहकारी सप्ताह का मुख्य विषय है - सहकारिता से डिजिटलीकरण जन सशक्तिकरण

दिनांक	आयोजित दिवस
14.11.2017	सहकारिता के माध्यम से सुशासन एवं व्यावसायिकरण
15.11.2017	सहकारिताएँ : उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक
16.11.2017	सहकारी विकास हेतु योग्य विधान
17.11.2017	पब्लिक - प्राइवेट को-आपरेटिव पार्टनरशिप
18.11.2017	तकनीकी जागरुकता एवं केशलेस भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन में सहकारिताओं की भूमिका
19.11.2017	वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिये सहकारिता
20.11.2017	कौशल विकास के मुख्य घटक के रूप में सहकारिता

भावान्तर भुगतान योजना के लाभ से किसान वंचित नहीं रहें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की वीडियो कान्फ्रेसिंग में कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिये शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। किसानों को उपज की बिक्री एवं भुगतान में कोई परेशानी नहीं हो। उन्हें 50 हजार रूपये तक का नगद भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने इस दौरान मध्यप्रदेश स्थापना दिवस को लोकोत्सव के रूप में मनाने एवं विकास यात्राओं को बहुउद्देशीय स्वरूप देने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और बैंकर्स उपस्थित थे।

राजस्व अभियान की प्रशंसा

मुख्यमंत्री ने राजस्व अभियान में हुए कार्यों की प्रशंसा की और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का व्यापक असर हुआ है। इससे जनता को बड़ी राहत मिली है। यह गति निरंतर बनाये रखी जाये। जो लक्ष्य तय किये गये है उन्हें पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुशासन देने के हरसंभव उपाय किये जाये। जिन जिलों में सूखे का संकट है वहाँ सरकार पूरी संवेदना से किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पट्टा वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक समारोह में किया जाये। इस अवसर पर बताया गया कि राजस्व अभियान के दौरान किसानों को 4 करोड़ 19 लाख खसरा-खतौनी की नकलें वितरित की गई हैं। साथ ही सीमांकन के 62 हजार एवं डायवर्सन के 44 हजार तथा अविवादित नामांतरण और बँटवारे के 3 लाख 52 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बताया गया कि एक नवम्बर को इन प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण की घोषणा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का समुचित निराकरण एवं नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह और भ्रष्ट कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये तथा अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाये। उन्होंने प्रदेश में स्वच्छता और प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए उत्कृष्ट कार्य की सराहना भी की। इसके पूर्व उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ दीं।

ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है सम्मानजनक रोजगार

भोपाल। ग्राम लोही जिला रीवा में आजीविका केन्द्र में 7 स्व-सहायता समूहों द्वारा हाथकरघा के माध्यम से कपड़ा निर्माण किया जा रहा है। इन स्व-सहायता समूहों से अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की 35 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं ने अब तक 270 मीटर कपड़ा बुना है। समूह की प्रत्येक महिला को औसत रूप से 4500 रुपये की प्रति माह आमदनी हो रही है।

ग्राम लोही और मऊगंज के ढेरा में 21 स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ टेडीबियर बना रही हैं। प्रत्येक महिला को 3 से 4 टेडीबियर बनाने पर औसत रूप से 200 रुपये तक की प्रतिदिन आमदनी हो रही है। इन स्व-सहायता समूहों से 90 ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। ग्राम लोही मे 2 स्व-सहायता समूह की 10 महिलाएँ प्रति माह करीब 4 हजार साबुन बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। रीवा जिले के जोरी और खीरा ग्राम की 180 महिलाएँ अगरबत्ती निर्माण कार्य में संलग्न हैं।

इस समूह की महिलाएँ प्रति मशीन प्रति दिन एक क्विंटल तक अगरबत्ती बना रही हैं। इनके द्वारा तैयार अगरबत्ती को अक्षर अगरबत्ती के नाम से जाना जाता है। अक्षर ब्राण्ड की अगरबत्ती की रीवा के बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान बन गई है।

ग्राम भानपुर और खाम्हा की स्व-सहायता समूह की महिलाएँ गोबर से गमले का निर्माण कर रही हैं। गमला निर्माण कार्य में 9 स्व-सहायता समूह की 45 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। यह महिलाएँ 25 मशीनों से प्रति माह एक लाख से अधिक गमले तैयार कर रही हैं। उद्यानिकी और वन विभाग ने इन महिलाओं के स्व-सहायता समूह को 5 लाख गमलों को तैयार करने का आर्डर दिया है। स्व-सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो हुई हैं, साथ ही इनके परिवार की माली हालत भी अच्छी हो गई है। इनके परिवारों की गाँव में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। रीवा जिले में ग्रामीण महिलाओं को इतना कारगर रोजगार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है अन्त्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन।

सुमन रानी को मिली धुआँ से निजात

भोपाल। पहले लकड़ियों से चूल्हा जलता था, बाजार से लकड़ी खरीदकर लाते थे और मिट्टी के तेल का इंतजाम करना पड़ता था तब कहीं भोजन बना पाते थे। लेकिन अब सरकार की उज्जवला योजना से गैस चूल्हा का कनेक्शन मिल जाने से न तो अब घर में धुआँ होता और न ही अब इससे आँखे खराब होने का डर रहता है। बेटियाँ भी अब खुशी- खुशी खाना बनाने में मदद करती हैं। यह कहना है कि दमोह जिले के हिरदेपुर गाँव की रहने वाली सुमन रानी अहिरवार का।

सुमन रानी के परिवार के उनके पति श्री मुलू अहिरवार सहित 3 बेटी और एक बेटा है। यह सभी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। सुमन की प्रेरणा से उनकी देवरानी पाना अहिरवार ने भी उज्वला योजना में गैस चूल्हे का कनेक्शन ले लिया है। वे भी अपने परिवार का खाना गैस चूल्हे पर बनाती हैं। यह परिवार मुख्य रूप से मजदूरी पर आश्रित है। ऐसे में उज्वला योजना का लाभ मिल जाने से इस परिवार को अब आजीविका कमाने के लिए और भी ज्यादा समय मिलने लगा है।

सेमरा-इमलिया सहकारी समिति प्रबंधक को हटाने के दिए निर्देश

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा समिति का औचक निरीक्षण

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सेमरा-इमलिया के प्रबंधक रूपेश मिश्रा को हटाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री सारंग ने समिति के निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक के विरुद्ध मिली अनियमितताओं पर उक्त निर्देश दिए। सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग आज सेमरा-इमलिया समिति में अचानक पहुँचे। उन्होंने समिति में भावांतर योजना के पंजीयन कार्य और क्रियान्वयन में लापरवाही, समिति कार्यालय में सिटीजन चार्टर के नहीं होने, कार्यालय में अभिलेखों का अव्यवस्थित रख-रखाव और परिसर में फैली गंदगी को गंभीरता से लिया। समिति के सदस्यों से भी प्रबंधक की लापरवाही से कार्य करने की शिकायत मिली। समिति के प्रबंधक मौजूद भी नहीं मिले। राज्य मंत्री श्री सारंग ने इसे गंभीरता से लिया और समिति प्रबंधक को हटाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा है कि सहकारी साख समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं का वह कभी भी और किसी भी समय निरीक्षण करेंगे। कहीं पर भी गड़बड़ी पाये जाने और अनियमितता मिलने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा भावांतर योजना सहित अन्य योजनाओं में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निरीक्षण के समय प्रबंध संचालक जिला सहकारी बैंक श्री आर.एस. विश्वकर्मा भी मौजूद थे।

कड़कनाथ मुर्गीपालन का पोल्ट्री हब बना ग्राम सीवनपानी

भोपाल। कड़कनाथ मुर्गी पालन में झाबुआ अंचल के साथ अब देवास जिले का नाम भी जुड़ गया है। देवास जिले की आदिवासी महिलाओं ने कड़कनाथ मुर्गी पालन में मिसाल कायम की है। इन अदिवासी महिलाओं ने मध्यप्रदेश शासन की आदिवासी उपयोजना और आत्मा परियोजना से मदद लेकर सफल उद्यमी का दर्जा हासिल कर लिया है। अब देवास जिले के 25 गाँव में लगभग 400 आदिवासी महिलाएं कड़कनाथ मुर्गी पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रही हैं। इन मुर्गियों और इनके अंडों की बिक्री से इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन आया है। स्थिति यह है कि अब इनके बच्चे इंदौर शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

देवास जिला मुख्यालय से लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर उदय नगर तहसील का गाँव है सीवनपानी। यहां रहने वाली रमकूबाई, मीराबाई और सावित्री बाई ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल बन गई है। इनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो अब शहरी क्षेत्रों से आए व्यवसाइयों से व्यवसायिक दक्षता से बात करती हैं। आदिवासी बाहुल्य बागली ब्लॉक के इस गाँव की रमकूबाई कड़कनाथ मुर्गी के चूजे पालकर खुश है। रमकूबाई का कहना है कि मुर्गियां पालने का काम हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन कड़कनाथ पहली बार पाला और इससे हमारे मुर्गी पालन व्यवसाय में बहुत बढ़ोतरी हुई है।

आत्मा परियोजना में इस गाँव के 42 मुर्गी-पालकों का चयन किया गया। प्रथम चरण में 26ग्रामीणों को 30 जून 2015 को चूजे दिए गए। गाँव में कड़कनाथ के 1040 चूजे निःशुल्क दिए गए। सभी हितग्राही बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। प्रत्येक हितग्राही को 5 किलो दाना भी निःशुल्क दिया गया। गाँव का वातावरण कड़कनाथ चूजों के लिए अनुकूल साबित हुआ। अधिकांश चूजे जीवित रहे। अब यह क्षेत्र, कड़कनाथ का पोल्ट्री हब बन गया है। प्रत्येक हितग्राही को 40 चूजे, दाना-पानी और बर्तन और औषधियां दी गई। प्रत्येक हितग्राही को 30 हजार रुपए से दड़बा, चूजे, 50 किलो दाना, बर्तन और दवाइयां भी दी गई।

सीवनपानी की रमकू बाई को एक वर्ष की अवधि में अंडे की बिक्री से 14 हजार रुपए की आय प्राप्त हुई।

परिणाम विश्वास एप पर दर्ज करायें

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को वह **विश्वास एप** पर दर्ज करायें। एप पर दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में की गई कार्यवाही की वह स्वयं नियमित मॉनीटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम नजर आना चाहिए।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने बस्तियों में स्वयं भी मोबाइल के माध्यम से **विश्वास एप** में आवेदनों को, लोगों की चर्चा और क्षेत्र की समस्याओं को दर्ज किया। उन्होंने आवेदकों और स्थानीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जो काम जितने समय में पूरा हो सकता है, उसे उतने समय में ही पूरा करवाया जाएगा। **विश्वास एप** में दर्ज शिकायत और समस्या को संबंधित अधिकारी तक भेजा रहा है। अधिकारी निराकरण कर निराकरण की स्थिति को विश्वास एप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेगा। वो स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने नगर निगम कॉलोनी सहित अन्य बस्तियों में नालियों में उचित निकासी नहीं होने से जमा पानी और बस्तियों में खाली भू-खण्ड पर फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगर निगम के अमले को तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री सारंग ने पदयात्रा के दौरान पात्र व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकरण मौके पर बनाकर स्वीकृत करने की कार्यवाही करने को कहा।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने रासलाखेड़ी स्कूल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल को कक्षा 8वीं तक करवाने, स्कूल भवन में लाइट फिटिंग कराने और फर्श आदि की मरम्मत करवाने की घोषणा की। निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर शिक्षक श्री सुशील भार्गव और श्री सुबोध श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री सारंग आज जन-संवाद पदयात्रा में छोला क्षेत्र के रासलाखेड़ी, सत्यज्ञान नगर, टिम्बर मार्केट और नगर निगम कॉलोनी आदि में लोगों से रू-ब-रू हुए। जन-संवाद पदयात्रा में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, पार्षद, अधिकारी और नागरिकगण साथ थे।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग से सैन्य अधिकारियों ने की भेंट

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग से उनके कार्यालय में प्रशिक्षणरत सैन्य अधिकारियों ने भेंट की। भारतीय जल, नव और थल सेना के 44 जूनियर कमीशंड ऑफिसर लघु व्यवसाय और उद्यमिता विकास पर सहकारी प्रबंध संस्थान, भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह सभी ऑफिसर अगले एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति के बाद प्रशिक्षित अधिकारी स्वयं सफल उद्यमी बनने में कामयाब होने का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने देश की सुरक्षा में सेना के योगदान की चर्चा करते हुए सैनिकों के कार्य की सराहना की। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को लघु व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहकारी संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी प्रशंसा की। संस्थान के डायरेक्टर डॉ. ए.के. अस्थाना ओर ओ.एस.डी. श्री अरूण माथुर भी मौजूद थे।

प्रशिक्षण को आर्डिनेटर ने प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 44 सैन्य अधिकारियों में 6नेवी, 8एयरफोर्स और 30 थल सेना से है।

किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिये कार्य कर रही है सरकार : श्री सारंग

बैतूल में सहकारिता सम्मेलन आयोजित, किसानों को फसल बीमा की क्लेम राशि वितरित

बैतूल। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए पूरे जतन से काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के क्षेत्र में सतत् कार्य किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश का किसान संपन्न एवं खुशहाल हो। इस दिशा में सहकारिता विभाग भी पूरी मजबूती के साथ किसानों को सहूलियत एवं लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। श्री सारंग जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी प्रांगण बडोरा में आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूरजलाल जावरकर, जिला योजना समिति सदस्य श्री जितेन्द्र कपूर, नगर पालिका अध्यक्ष बैतूल श्री अलकेश आर्य, नगर परिषद् अध्यक्ष भैंसदेही श्री अनिल सिंह ठाकुर, नगर परिषद् अध्यक्ष बैतूलबाजार श्री सुधाकर पंवार, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्रीमती सरोज शुक्ला, पूर्व विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री विश्वास सारंग ने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार सबसे तेज गति से विकास करने वाली सरकार बनी है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अधिक से अधिक किसानों को खेतों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। किसानों को सहकारिता विभाग के माध्यम से जीरो प्रतिशत् ब्याज पर उपलब्ध कराने की पहली बार व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मूलधन पर 10 प्रतिशत् अनुदान भी दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार ने किसानों को समय पर खाद-बीज की उपलधता पर विशेष ध्यान दिया है ताकि किसान बोवनी के समय परेशान न हों। कृषि कार्य से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की बच्चियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार पूरी मदद कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि सहकारिता क्षेत्र में गांवों की अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाएं, ताकि गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुद्देशीय दुकानें प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जो छोटे मॉल के रूप में होगी एवं आमजन को रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री एक ही स्थान पर उचित दाम में मिल सकेगी। सम्मेलन में जिला योजना समिति के सदस्य श्री जितेन्द्र कपूर ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र के माध्यम से निरंतर किसानों को सहूलियतें उपलब्ध करा रही है ताकि किसानों की आय दुगुनी करने की मंशा को सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से भी सफलता मिल सके। इसके पूर्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री विनय भावसार ने स्वागत भाषण दिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले किसानों को बीमा राशि के चेक भी प्रदान किए गए। गौरतलब है कि सहकारी बैंक के माध्यम से इस योजना के तहत वर्ष 2015-16के लिए जिले के 2925 कृषकों को 78लाख 51 हजार 678रूपए की क्लेम राशि प्रदान की जा रही है। इस दौरान वीर दुर्गादास राठौर सहकारी समिति के पंजीयन का प्रमाण पत्र भी श्री शिवप्रसाद राठौर को प्रदान किया गया। सम्मेलन का संचालन श्रीमती कृष्णा हजारे द्वारा किया गया।

कड़कनाथ मुर्गा पालन सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों की कार्यशाला सम्पन्न

इंदौर। म.प्र. राज्य सहकारी संघ एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक में कड़कनाथ मुर्गा पालन सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई।

कार्यशाला का शुभारंभ संयुक्त संचालक, पशुपालन विभाग डी.के. भालेवाड़ीकर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में कड़कनाथ मुर्गो की प्रजाति का विकास करने एवं सहकारी संस्था के माध्यम इसको व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।कार्यक्रम के सहसंयोजक म.प्र. सहकारिता विभाग भोपाल के उपायुक्त श्री प्रेम द्विवेदी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉ. लक्ष्मी चौहान प्रोफेसर पशुपालन महाविद्यालय महू, डॉ. विजय शर्मा, पशुपालन विस्तार अधिकारी उदयनगर, डॉ. एस.एम.शेख, प्रबंधक मुर्गीपालन केन्द्र एवं के. पाटनकर उपायुक्त सहकारिता इंदौर ने अपने व्याख्यान दिए। कार्यशाला में संस्था के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं बताई एवं उसका निराकरण अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंदौर सहकारिता विभाग के उपायुक्त के. पाटनकर झाबुआ उपायुक्त श्री बड़ोले, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ के प्रबंधक पी. एन. यादव, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के प्राचार्य के.एल. राठौर, प्रशिक्षक के.के. मालवी आईपीसी बैंक महाप्रंधक श्री खरे उपस्थित रहे। कार्यशाला में झाबुआ अलीराजपुरा व देवास की 20 सहकारी संस्थाओं के लगभग 75 पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के व्याख्याता निरंजन कुमार कसारा द्वारा किया गया।

शहरी उपभोक्ता भंडारों की सहकारी संगोष्ठी

उज्जैन। जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के प्रबंधक श्री जगदीश प्रसाद बैरागी ने बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों की जिला संघ में एक सहकारी संगोष्ठी एवं बैठक शासन के निर्देशानुसार श्री ओ.पी. गुप्ता, उपायुक्त, सहकारिता की अध्यक्षता एवं श्रीराम बर्डे, सहायक खाद्य अधिकारी, उज्जैन की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। जिसमें उपस्थित शहरी प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों के प्रबंधक/पदाधिकारियों को श्री गुप्ता ने समय पर अंकेक्षण पूर्ण कराने, संचालक मंडल एवं आमसभा समय पर करवाने एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी देते हुए सहकारिता से संबंधित जानकारी देते हुवे भंडारों को अपनी जानकारी सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अपडेट करने हेतु कहा। श्री बर्डे ने बताया कि पात्र हितग्राही से आधार नम्बर प्राप्त कर ई-पोर्टल पर अपडेट करे साथ ही एक तथा दो सदस्यों वाले अंत्योदय परिवारो का सत्यापन कराने तथा जो परिवार विगत चार माह से राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे उसे सूचीबद्ध किया जावे तथा जानकारी प्राथमिकता के आधार पर एकत्रित कर विभाग को उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश दिये, जिससे शासन की योजना का लाभ जरूरतमंद ले सके। बैठक में खाद्य निरीक्षक समदखान एवं नागरिक आपूर्ति के कनिष्ट अधिकारी तथा भंडार संघ के अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि श्री बाबूलाल गेहलोत पूर्व अध्यक्ष श्री शरद जैन, श्रीराम तिवारी, श्री सिसोदिया, श्री महेन्द्र शर्मा, अनवर भाई, महेन्द्र कछावा, नवीन भाटी, अभय जैन, पवन पांचाल, मनोज राठौर, विशाल लश्करी, शिवकुमार गेहलोत आदि उपस्थित थे।

एच.डी.सी.एम. सहकारी ज्ञान वृद्धि का सशक्त माध्यम

जबलपुर। हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव्ह मैनेजमेंट का कोर्स सहकारी क्षेत्र में सहकारिता के ज्ञानवर्धन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कोर्स में सहकारी प्रबंध, सहकारी लेखांकन और अंकेक्षण, सहकारिता के कानूनी पहलू, कम्प्यूटर प्रबंध जैसे विषयों का सार्थक प्रशिक्षण दिया जाता है। सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को चाहिए कि वे अधिकाधिक संख्या में इस कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसका उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करें। ये विचार श्रीमती आरती पटेल, सहायक आयुक्त, सहकारिता जबलपुर ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में एच.डी.सी.एमत्र सत्र क्रमांक 15 के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने दिया। संकाय सदस्य व सत्र समन्वयक श्री एस.के. चतुर्वेदी ने सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम की उपयोगिता व महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थी के रूप में श्रीमती प्रशंसा चौरसिया, श्री प्रवीण तिवारी, श्री शैलेश्वर दौना, श्री दिनेश ठाकरे इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT, KHANDWA (M.P.)

The Third Scheduled (Section "29") Form "A"

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	CAPITAL AND LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
433,241,696.00	1	SHARE CAPITAL		514,355,856.00
		I. Authorised Capital as per bylaw approved by the Registrar Cooperative Socs. Rs. 100,00,00,000.00 (Rs. Hundred Crore Only)		
		"A" Class Share of Rs. 1000.00 each share		
		"B" Class Share of Rs.1000.00 each share		
		"C" Class Share of Rs. 100.00 each share		
		"D" Class Share of Rs. 100.00 each share		
		ii. Subscribed Capital		
		473909 share of Rs. 1000.00 each		
		0 share of Rs. 1000.00 each		
		0.00		
		36768share of Rs. 100.00 each		
		iii. Amount called up		
		473909 share of Rs. 1000.00 each		
		0 share of Rs.1000.00 each		
		0.00		
		36768 share of Rs. 100.00 each		
		a. Individuals	812,806.00	
		b. Cooperative Institution	513,543,050.00	
		c. State Government		
1,063,897,016.54	2	RESERVE FUND AND OTHER RESERVES		1,223,658,252.21
		I. Statutory Reserve	47,370,063.24	
		ii. Agril. Credit Stabilisation Fund	30,609,550.00	
		iii. Building Fund	16,029,266.55	
		iv. Dividend Equalisation Fund	113,000.07	
		v. Special Bad Debt Reserve (Bank)	598,478,000.00	
		vi. Special Bad Debt Reserve Interest	261,120,479.00	
		vii. Bad and Doubtful Debts Reserves (Govt.)	151,225.00	
		viii. Investment Depreciation Fund	1,103,100.00	
		ix. Provision against standard assets	22,342,000.00	
		x.Recap.Assistance State Gov't	43,300,458.00	
		xi.Training Fund	2,162,870.00	
		x. Other Funds	200,878,240.35	
		a. Common Benefit Fund 49,870.15		
		b. Education and Library Fund 5,000.00		
		c. Gratuity Fund 44,41,550.94		
		d. Vehicle Fund 51,09,400.00		
		e. Stock and Furniture Fund 1,41,53,300.00		
		f. Computer Fund 3,50,00,000.00		
		g. Bonus Fund 2,27,903.00		
		h. Share Redumption Fund 1,29,99,859.99		
		i. Aadiwasi Upyojna Fund 10,513.00		
		j. Godown Fund 25,000.00		
		k. Patta Fund 25,000.00		
		l. Employee Welfare Fund 41,64,478.40		
		m.Family Welfare Fund 9,992.00		

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
644,373,508.06	1	CASH		651,016,697.50
		a. Cash in Hand (At Branches)	88,199,318.58	
		b. Balance (Current A/c.) with RBI/SBI/State Coop. Bank	562,817,378.92	
		SBI 19,55,32,744.72		
		State Coop. Bank 2,59,15,560.82		
		Other Banks 34,13,69,073.38		
1,981,519,295.00	2	BALANCE In Fixed Deposite		3,018,745,448.00
		a. Fixed Deposit	3,018,745,448.00	
		State Coop. Bank 1,67,88,70,268.00		
		R.F. in Apex Bank 4,79,27,490.00		
		F.D. with State Bank of India& Other Bank 1,29,19,47,690.00		
	3	MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
962,633,000.00	4	INVESTMENT		1,882,168,355.00
		a. In Central & State Govt. Securities (At Book Value)	1,555,027,355.00	
		b. Other Trustee Securities		
		I. Central Ware Housing Share	5,000.00	
		c. Share in Cooperative Institution	327,136,000.00	
	5	INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL/ SUBSIDIARY		
		STATE PARTNERSHIP FUND A/C.		
		a. Central Coop. Bank/ APEX BANK		
		b. Primary Coop. Bank		
		c. Other Socs.		
	6	ADVANCES		7,146,477,615.12
6,437,213,748.03	I	S.T. Cash Credit Overdraft & Bills Discounted	6,915,199,927.41	
		I. Secured against Coop. Paper		
		Of which secured against		
		a. S.T. Normal Loans to Agril. Credit Socs. 4,63,09,21,947.32		
		Small Farmers		
		b.S.T.Normal Loans to Agril. Credit Socs, 1,48,32,13,236.69		
		Big Farmers		
		and Non Agril. Credit Socs. & Overdraft to A.R.D.B. 80,10,64,743.40		
		ii. Govt. & Other approved securities	3,801,563.00	
		a. Loans against National Saving Certificates 38,01,563.00		
		iii. Other Tangible securities	227,476,124.71	
		a. Loans against Fixed Deposits 6,81,43,529.00		
		b. Advance and Overdraft to Staff 9,57,77,939.91		
		c. Advance amt. Due from Individual 20,79,810.30		
		d. Loans against Ornaments 6,14,74,845.50		
		Of the advance amt. Overdue		
		Considered bad & doubtful of recovery		
		1. Bad Principal		
		2. Doubtful Principal		
2,654,715,130.66	II	M.T. Loans		1,877,186,689.06
		Secured against Coop. Paper	1,712,310,825.11	
		c. Medium Term Loans to Agril. Cr. Socs. 2,01,42,861.00		
		I. Medium Term Normal & I.R.D.P./S.J.S.Y. 16,17,852.90		

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	CAPITAL AND LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
		n. Bachat Bank Amanat Guarantee Fund 51,78,972.87		
		o.Coop Agri. Devlp Fund 11,77,400.00		
		Revalution Res. Fund Land 11,83,00,000.00		
	3	PRINCIPAL / SUBSIDIARY / STATE PARTNERSHIP FUND A/C.		
		FOR SHARE CAPITAL OF :		
		I. Central Cooperative Bank		
		ii. Primary Agril. Credit Socs.		
		iii. Other Socs.		
5,358,049,676.64	4	DEPOSIT AND OTHER ACCOUNT :		6,761,606,112.88
		I. Fixed & Recurring Deposits	3,895,510,984.27	
		a. Individual 2,15,90,82,835.35		
		b. Coop. Socs. 1,73,64,28,148.92		
		ii. Saving Deposits	2,769,456,672.14	
		a. Individual 1,61,84,82,608.19		
		b. Coop. Socs. 1,15,09,74,063.95		
		iii. Current Deposits	96,638,456.47	
		a. Individual 3,32,29,341.27		
		b. Coop. Socs. 6,34,09,115.20		
		iv. Money at Call & Short Notice		
		Call Deposit (Socs.)		
	5	Cridit Balance In CC/OD		87,533,446.60
6,172,012,679.06	5	BORROWING		6,359,384,270.00
		From the Reserve Bank of India/State Coop. Bank		
		a. S.T. Loans Cash Cr. & Overdraft	5,025,500,000.00	
		(Secured against Coop. Papers)		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities		
		a. M.T.LOANS	0.00	
		(Secured against Coop. Papers)		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities	1,327,634,720.00	
		b. L.T.LOANS (Rural Housing, Godown & Tractor)	0.00	
		(Secured against Coop. Papers)		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities	6,249,550.00	
		From the State Govt.		
		a. S.T. Loans Cash Credit & Overdraft		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities		
		b. M.T. Loans		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities		
		c. L.T. Loans (Secured against Coop. Paper)		

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
		ii. Medium Term Conversion & Rephasement 1,69,05,50,111.21		
		Of which secured against		
		a. Govt. & Other approved securities		
		b. Other Tangible securities		
		iii. Medium Term Non Agril. Loans 2,91,17,842.75	164,875,863.95	
		Of the advance amt. due from Individual 13,57,58,021.20		
		Of the advance amt. Overdue		
		Considered bad & doubtful recovery		
		1. Bad Principal)		
		2. Doubtful Principal)		
365,653,258.22	III	L.T. Loans		361,547,020.69
		Secured against Coop. Paper	287,646,493.80	
		(Godown, Tractor) 28,76,46,493.80		
		Of which secured against		
		a. Govt. & Other approved securities	73,900,526.89	
		b. Other Tangible securities to soci. 7,39,00,526.89		
		Of the advance amt. due from Individual		
		a. Govt. & Other approved securities		
		1. Bad Principal)		
		2. Doubtful Principal)		
49,923,969.54	IV	Loan on liquidation socy.		49,923,969.54
279,906,719.37	7	INTEREST RECEIVABLE		286,360,768.84
		I. On Loans	221,784,920.21	
		ii. On Investment	35,573,056.63	
		iv. Debt Relief amount receivable	29,002,792.00	
		from State & Central Govt.		
		iii.Of which overdue		
		iv. Considered bad & doubtful of recovery		
		1. Bad Principal)		
		2. Doubtful Principal)		
	8	BILLS RECEIVABLE FOR COLLECTION (As per contra)		
	9	BRANCH ADJUSTMENT		
4,116,500.00	10	PREMISES LESS DEPRICIATION 41,16,500.00		3,704,700.00
		(+) 0.00		
		Total 41,16,500.00		
		Less Depriciation (-) 4,11,800.00		
		3,704,700.00		
10,541,690.00	11	FURNITURE & FIXTURE LESS DEPRICIATION		11,595,900.00
		10,541,690.00		
		Furniture & Fixture Purchase (+)23,20,851.00		
		Total 1,28,62,541.00		
		Less Depreciation (-) 12,66,641.00		
		11,595,900.00		
781,600.00		Computer 7,81,600.000		390,800.00
		(+)0.00		
		781,600.00		
		Less Depreciation (-) 3,90,800.00		
		390,800.00		

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	CAPITAL AND LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities		
	6	BILLS FOR COLLECTION BEING RECEIVABLE		
14,843,423.86	7	BRANCH ADJUSTMENT		81,981,785.77
	8	OVERDUE INTEREST RESERVE		
174,326,763.95	9	INTEREST PAYABLE (DEPOSIT)		175,900,247.62
64,043,350.02	10	OTHER LIABILITIES		89,769,388.40
		I. Suspense		
		a. Individual	11,587,869.81	
		b. Other Socs.	4,470,908.60	
		c. Unclaim D.D.	5,139,138.15	
		d. Migration Suspense	9,015,775.68	
		c. Other Liabilities	265,594.52	
		I. Elect.Bill payble - 20000.00+ Fraud secu. 36172.00 +		
		Tele.Bill payble 27000.00 +Service Tax Other Payable 182422.52		
		II. Sundries		
		a. Union Contribution	0	
		b. Audit Fee due	1,701,197.00	
		c. Cadre Fund	681,515.48	
		d. Fertilizer Sale Coll. A/c.	395.32	
		e.Beej protsahan rashi	1,167,660.00	
		f.vaidhyanathan {state &central Govt	68,788.00	
		g.Income Tax Payble		
		h. Sundries	53,104.00	
		I . Sundry dep TDS System Credits	5,428,692.00	
	11	Subsidy	35,128,519.65	
	12	Interest Not Collected	14,970,475.85	
0.00	13	OTHER LIABILITIES	89,754.34	
156,323,338.53	14	PROFIT		150,184,057.48
13,436,737,944.60		TOTAL		15,444,373,416.96

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS		AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2017
2,740,262.00		I.Jeep car	27,40,262.00		2,072,810.00
			(+ 0.00		
			2,740,262.00		
			(- 6,67,452.00		
			2,072,810.00		
		Computer FLC	0.00		459,150.00
			(+)6,88,760.00		
			688,760.00		
			(-) 2,29,610.00		
			459,150.00		
		Furniture & Fixture FLC	0.00		97,670.00
			(+) 1,08,520.00		
			108,520.00		
			(-) 10,850.00		
			97,670.00		
		Furniture PREMISES Land			118,300,000.00
1,837,179.95		Stationery Stock			1,947,567.95
40,782,083.77	12	OTHER ASSETS			32,378,255.26
		ii. Cadre Fund Contri. & Cadre officer pay receivable from Apex Bank		7,353,590.18	
		iii. Inquiry Account		252,874.00	
	13	Sundry Debtor		0.00	
	14	NEFT INWARD MESSAGES SUSP ACCT		6,007,338.61	
		v. Other Assets		18,764,452.47	
		Receivable from court (gratuity)-2057252.60 +Receiv.fromD.R.C.S 19945.93			
		M.P.E.B.&Telephone securi.125275.15+Dividnt Receiva.from APEX			
		Loan & Aid From ICDP 4448580.79+Reciv. TDS 63303.00+SAL UN 4740.00+ From Central Govt ARDR 24408.00+Advance paid primi.430947.00			
		Advance income tax11500000.00+ Recbl form nabard FLC 90000.00			
	15	NON BANKING ASSETS ACCOUNT IN SETALMENT OF THE CLAIMS			
	16	PROFIT AND LOSS			
13,436,737,944.60					15,444,373,416.96

गणितीय जांच की
हस्ता/-
(A.O.)

Sd/-
SHIVPRASAD PANWAR
CHIEF ACCOUNTANT(Incharge)

Sd/-
A.K.JAIN
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Sd/-
PURSHOTTAM SHARMA
DIRECTOR

Sd/-
UTTAM PATEL
VICE CHAIRMAN

Sd/-
MANOJ TARWALA
VICE CHAIRMAN
JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT,
KHANDWA (M.P.)

DATE- 05 Aug. 2017
PLACE- KHANDWA

As per report of even date attached
For PANKAJ SOMAIYA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
F.R.N.No.010081C/C400001
Sd/-
CA PANKAJ SOMAIYA
Partner
M.No. 079918

अग्रेषित
हस्ता/-
उप आयुक्त
सहकारिता, जिला खण्डवा, म.प्र.

निर्गमित हस्ता/-
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी सोसाइटियाँ, इंदौर

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2016 - 2017

AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	EXPENDITURE	AMOUNT AS ON 31.03.2017	AMOUNT AS ON 31.03.2016	Sr. No.	INCOME	AMOUNT AS ON 31.03.2017
349,616,991.83	1	Intt. On Deposit	404,016,725.24		1	Interest	
380,908,433.67	2	Intt. On borrowing etc.	462,000,253.00	822,203,347.80		I. On loan	948,833,694.93
690,100.00	3	Intt. On Investment	723,950.00	139,941,988.59		ii On Deposit	158,422,028.49
159,450,647.22	4	Salaries, Allownces & P.F.	177,062,534.49	9,578,624.93		iii On Investment(Dividend)	13,357,002.73
64,245.00	3	Director & Local Committee Member Fee & All Allowances	46,710.00	506,702.98	2	Commission Exchange	1,381,876.28
12,489,352.68	4	Rent, Tax, Insurance, Lighting etc.	30,179,059.35	156,208.00	3	Locker Rent	345,069.00
		House Rent 16,15,850.38		14,370.00	4	Entry Fees	17,020.00
		Insurance 72,19,233.00		2,026,368.40	5	Incidental Charges	3,747,348.85
		Lighting Charge 24,37,890.10		3,540,000.00	6	Excess Prov of STD Assets	0.00
		Tax paid 1,89,06,085.87		87,200.00	7	Profit In Sell Of Asetes	0.00
		Property43690.00+		5,275,190.00	8	Income Tax Refund Received	2,004,743.00
		In.Tax 18010720.00+ServiceTax		1,142,022.06	9	Service Charge	1,618,468.50
		851,675.87		247,364.00	10	Other Income	143,939.54
76,300.00	5	Law Charges	95,230.00		11	Income Tax Refund int Received	143,583.00
65,630.64	6	Postage Charges	0.00		12	Postage Charges recv	66,267.20
319,669.99	7	Telephone Charges	343,460.74				
1,410,640.00	8	Auditors fees Provision	2,263,250.00				
6,000.00	9	Repair of Property	272,528.00				
1,700,082.60	10	Stationery, Printing	1,775,365.83				
166,558.00	11	Advertisement	135,050.00				
6,746,572.00	12	Employee Cader Fund Contribution	7,531,872.00				
1,435.40	13	Union Contribution	18,572.50				
1,479,068.55	15	Contingents Expenses	1,953,335.72				
1,704,729.25	16	Motar Expences	2,608,034.87				
7,570,322.92	17	Computer Maintainance	7,688,816.95				
1,087.39	18	Bank Commission Paid	1,584.88				
254,975.00	19	Business Promotion Expenses	370,690.00				
105,000.00	20	Loos on Investment	424,645.00				
110,500.00	22	Training Exp	0.00				
	23	SMS Alert Exp	88,607.00				
301,000.00	24	Loos in Sell of Asetes	131,600.00				
6,015,900.00	25	Depreciation	2,672,553.00				
		PROVISION :-					
1,247,000.00	26	A. N.P.A. Principal	0.00				
893,000.00	27	B.N.P.A. Interest	0.00				
0.00	28	C. Against standard assets	0.00				
175,742.00	29	D. Amanat Guarantee Fund	121,294.00				
933,570,984.14		TOTAL	1,102,525,722.57				
51,148,402.62	30	Balance of Profit	27,555,318.95				
984,719,386.76		**GRAND TOTAL**	**1,130,081,041.52**	**984,719,386.76**		**TOTAL**	**1,130,081,041.52**

Sd/-
SHIVPRASAD PANWAR
CHIEF ACCOUNTANT(Incharge)

Sd/-
A.K.JAIN
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Sd/-
PURSHOTTAM SHARMA
DIRECTOR

Sd/-
UTTAM PATEL
VICE CHAIRMAN

Sd/-
MANOJ TARWALA
VICE CHAIRMAN
JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT,
KHANDWA (M.P.)

DATE- 05 Aug. 2017
PLACE- KHANDWA

As per report of even date attached
For PANKAJ SOMAIYA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
F.R.N.No.010081C/C400001
Sd/-
CA PANKAJ SOMAIYA
Partner
M.No. 079918

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
खण्डवा

वित्तीय विवरणो पर प्रतिवेदन

हमनें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा जिसका पंजीयन कमांक '1' स्थापना दिनांक 26.11.1911 है, के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें दिनांक 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र तथा इस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ–हानि खाता विवरणी एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा अन्य व्याख्यात्मक सुचनायें सम्मिलित है का लेखा–परीक्षण किया है।

वित्तीय विवरणीयों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

1. बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहॉ तक सहकारी बैंक के लिये लागू होता है), म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 और संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस उत्तरदायित्व मे वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से सबंधित आंतरिक नियत्रंण की संरचना कियान्वयन एवम् रख–रखाव सन्निहित है, जो एक सही एव निष्पक्ष स्थिती प्रस्तुत करते है तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

2. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है, हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्स् ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई। यें मानक अपेक्षा करते है कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुये लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और सम्पन्न करे कि इन वित्तीय विवरणीयो के सही एवम् किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके।

3. एक लेखा परीक्षा मे वे प्रकियाऍ सम्मिलित होती है, जिनसे वित्तीय विवरणीयों में दी गई राशियॉ एव प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इन प्रकियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमे वित्तीय विवरणियों के महत्वपुर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हो से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आंकलनो मे लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणियों के निर्माण एव प्रस्तुतिकरण मे बैंक के संबधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते है, जो कि प्रदत्त परिस्थितीयों मे इस प्रकार की उपयुक्त

लेखा परीक्षा प्रकिया बनाने के लिये है, जो सही एवम् निष्पक्ष चित्रण कर सके। एक लेखा परीक्षा मे अपनाई गई नीतियों की उपयुक्ता का आंकलन एवम् प्रबंधतत्र द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकन भी शामिल होता है।

4. हम विश्वास व्यक्त करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवम् उपयुक्त होने के लिये आधार उपलब्ध कराता है,

मर्यादित अभिमत के लिए आधार

5. बैंक ने इन्स्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्स् ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकन मानक 1 (लेखांकन नितियो का प्रकटीकरण), लेंखाकन मानक 3 (रोकड प्रवाह विवरण), लेंखाकन मानक 15 (अवकाश नगदीकरण का उपचय तथा ग्रेच्युटी), लेंखाकन मानक 20 (प्रति अंश आय), लेंखाकन मानक 22 (आय पर कर का लेखांकन) एवं लेंखाकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक संपत्तियाँ) का अनुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का अनुसरण नही किया है ।

6. हम कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था में गैर निष्पादक संपत्तियॉ (NPA) की प्रविष्टि गलत दिनांक को होने के कारण गैर निष्पादक संपत्तियों (NPA) के सभी वर्गीकरण (जो कि अवमानक और संदिग्ध संपत्तियों (Sub Standard & doubtful assets) में किया जाना था) को कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था द्वारा सत्यापित करने में असमर्थ है एवं उसके परिणाम स्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (Provision for bad and doubtful debts) के प्रभाव को निश्चित करने में मैन्युअली किया गया है।

मर्यादित अभिमत

7. बैंक की पुस्तको मे यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त पैरा **"मर्यादित अभिमत के लिए आधार"** में वर्णित विषयो के अतिरिक्त, हमारे अभिमत मे हम रिपोर्ट करते है कि–

i. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप,सुझाव एवम् टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमे सभी आवश्यक विवरण समाहित है, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत मे सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो, वित्तीय विवरण बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहॉ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) की धारा 31 एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमो के अनुरूप दि. 31 मार्च, 2017 को बैंक के कियाकलापों का सही एंव निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।

ii. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप, सुझाव एवम टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहॉ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमो के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखो मे लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएँ

1. तुलनपत्र तथा लाभ हानि पत्रक, वित्तीय विवरण, बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहॉ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुसार बनाये गये है।

2. उपयुक्त पैरा 1 से 7 में निर्दीष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन, वित्तीय विवरण बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहॉ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एव म.प्र सहकारी सासोयटी अधिनियम 1960 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिर्पोट करते है कि

i. हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाएँ गए।

ii. बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।

iii. बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा–परीक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई है।

iv. इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलनपत्र तथा लाभ–हानि पत्रक बही खातों के साथ समझौते में है।

v. हमारे द्वारा की गई बैंक की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर, हमारी राय के अनुसार, बैंक द्वारा कानूनी रूप से उचित बहीखाते रखे गये हैं।

vi. बैंक को वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''अ'' वर्ग में रखा गया है।

स्थान – बुरहानपुर
दिनांक – 05-08-2017

वास्ते मे. पंकज सोमैया एंड एसोसिएट्स एल.एल.पी.,
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
FRN010081C/C400001

अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त वर्ग ...अ... की पुष्टि की जाती है ।
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी सोसाइटियाँ
इन्दौर

PANKAJ SOMAIYA & ASSOCIATES LLP BURHANPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

सीए(पंकज सोमैया)
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
पार्टनर
M. NO 079918

भोपाल कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड

बैलेंसशीट दिनांक 31 मार्च 2017

	प्रपत्र क्रमांक	दिनांक 31 मार्च 2017 को रू.	दिनांक 31 मार्च 2016 को रू.
पूंजी एवं देयताएं			
अशपूंजी	1	20,85,80,389.00	22,65,29,139.00
रक्षित एवं अन्य निधियां	2	66,38,52,193.17	36,35,50,592.48
अमानतें	3	35,56,75,36,622.39	30,40,80,93,484.95
ऋण ग्रहण	4	34,28,572.00	69,56,250.00
अन्य देयताऐं एवं प्रावधान	5	1,46,31,94,744.87	1,20,93,21,167.33
योग		**37,90,65,92,521.43**	**32,21,44,50,633.76**
सम्पति			
नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	6	21,35,41,081.70	16,31,31,402.70
बैंकों के पास जमा तथा मांग एवं शार्टनोटिस पर प्राप्य धन	7	4,25,28,50,315.26	1,81,33,82,472.62
विनियोजन	8	21,14,56,65,995.00	19,74,68,98,444.00
ऋण एवं अग्रिम	9	10,82,63,10,388.42	9,70,42,62,469.18
स्थायी सम्पत्ति	10	35,84,97,047.11	4,15,12,445.22
अन्य सम्पत्ति	11	1,10,97,27,693.94	74,52,63,400.04
योग		**37,90,65,92,521.43**	**32,21,44,50,633.76**
		0.00	**0.00**
आकस्मिक देयताएं	12	1,18,82,501.00	1,05,22,193.00
बिल्स फार कलेक्शन	-	2,74,921.00	11,37,763.20
प्रमुख लेखानीति	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		

उपरोक्त वर्णित प्रपत्र (शेड्यूल) बैलेसशीट के अविभाज्य अंग हैं

हमारे उक्त दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
अग्रवाल कन्हेरे एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउण्टेंट

हस्ता/–
(अशोक कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक : 075857
फर्म पंजीकरण क्र. 008165 सी
स्थान : भोपाल
दिनांक : 31/07/2017

हस्ता/– अध्यक्ष   हस्ता/– प्रबंध संचालक

हस्ता/– संचालक   हस्ता/– संचालक   हस्ता/– वित्तीय विश्लेषक

जाँचा एवं सही पाया गया
हस्ता/-
अंकेक्षण अधिकारी

अग्रेषित
हस्ता/-
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल

निर्गमित किया
हस्ता/-
संयुक्त संचालक
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल संभाग
भोपाल

भोपाल कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि खाता

	प्रपत्र क्रमांक	31/3/17 का समाप्त वर्ष	31/3/16 का समाप्त वर्ष
1. आय			
ब्याज आय	13	2,79,07,00,570.92	2,67,91,30,082.18
अन्य आय	14	3,75,39,420.51	1,88,07,859.49
योग		**2,82,82,39,991.43**	**2,69,79,37,941.67**
2. व्यय			
ब्याज भुगतान	15	2,61,30,02,408.99	2,34,05,20,119.41
प्रचालन व्यय	16	32,84,76,274.09	31,90,08,243.48
आकस्मिकताओं के लिये प्रावधान	16A	3,52,02,898.49	1,45,58,776.37
योग		**2,97,66,81,581.57**	**2,67,40,87,139.26**
3. लाभ/हानि			
वर्ष में लाभ/हानि		-14,84,41,590.14	2,38,50,802.41
लाभ गत वर्ष से लगाया गया		0.00	2,56,63,882.03
वर्ष भुगतान दिया गया लाभांश	18 (7)	0.00	-69,39,536.98
योग		**-14,84,41,590.14**	**4,25,75,147.46**
4. लाभ का विभाजन			
ट्रांसफर			
सांविधिक रिर्जव		0.00	59,62,700.60
कृषि साख स्थायीकरण निधि		0.00	35,77,620.36
प्रशिक्षण हेतु प्रावधान		0.00	4,77,016.05
बोनस/एक्स ग्रेशिया हेतु प्रावधान		0.00	25,45,700.00
पेक्स विकास फंड		0.00	11,92,540.12
सामान्य रिजर्व		0.00	4,77,016.05
निवेशों में घटबढ़ हेतु प्रावधान		0.00	23,375.00
शेयर पूंजि पर प्रस्तावित लाभांश		0.00	94,00,000.00
शेष बैलेंसशीट में अंतरित		-14,84,41,590.14	1,89,19,179.28
योग		**-14,84,41,590.14**	**4,25,75,147.46**
प्रमुख लेखानीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		

वर्णित प्रपत्र लाभ हानि खाते के अविभाज्य अंग हैं

हमारे उक्त दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
अग्रवाल कन्हेरे एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउण्टेंट

हस्ता/–
(अशोक कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक : 075857
फर्म पंजीकरण क्र. 008165 सी
स्थान : भोपाल
दिनांक : 31/07/2017

हस्ता/– अध्यक्ष   हस्ता/– प्रबंध संचालक

हस्ता/– संचालक   हस्ता/– संचालक   हस्ता/– वित्तीय विश्लेषक

जाँचा एवं सही पाया गया
हस्ता/-
अंकेक्षण अधिकारी

अग्रेषित
हस्ता/-
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल

निर्गमित किया
हस्ता/-
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल संभाग
भोपाल

स्वतंत्र अंकेक्षक प्रतिवेदन

प्रति,
सदस्यगण,
भोपाल को..ऑपेरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड,
भोपाल

वित्तीय विवरणियों पर प्रतिवेदन

हमने भोपाल को..ऑपेरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश, की 31.03.2017 की स्थिति की वित्तीय विवरणिया, जिनमें 31.03.2017 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता तथा नगदी प्रवाह विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है|

वित्तीय विवरणियों के सम्बन्ध में प्रबंधन का दायित्व

भारतीय रिज़र्व बैंक / नाबार्ड की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर लागू) तथा समाविष्ट लेखा नीतियों, परम्पराओ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक की वित्तीय स्तिथि का सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है| इस जिम्मेदारी के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से सम्बंधित नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है | इन जोखिमो के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पिक प्रक्रियाओं, जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से सम्बंधित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों पर आतंरिक नियन्त्र प्रभावी हो|

लेखा-परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा आधारित अभिमत देने की है| हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों अनुसार पूरी की है| इन मानकों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें और अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं एवं निष्पादित करें ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएँ कि वित्तीय विवरणियों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं|

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के सम्बन्ध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं| जांच के लिए चुनी गई पद्धतियां लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के आकलन पर आधारित होती है। इन जोखिमो के आकलनों की जांच करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से सम्बंधित आतंरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित पद्धति बनाई जा सके परंतु इनका उद्देश्य संस्था के आतंरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है| लेखा परीक्षा के अन्तर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतो तथा प्रमुख आकलनों की जांच तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति की जांच भी की जाती है|

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा साक्ष्य हमारे लेखा-परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है|

राय :

हमारे अभिमत में बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, सहपठित प्रस्तुत लेखांकन नीति एवं लेखा टिप्पणियों, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की त्रितीय अनुसूची (सहकारी समितियों पर लागू) में दिये गए क्रमशः फॉर्मेट **"क"** तथा **"ख"** एवं भारत में सामान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप इस प्रकार से तैयार किये गए हैं जो कि प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों का सत्य एवं उचित चित्र दर्शाता है :

a) प्रस्तुत तुलन पत्र के सन्दर्भ में बैंक के कार्यों का जो कि 31.03.2017 से सम्बंधित है;
b) प्रस्तुत लाभ एवं हानि खाता के सन्दर्भ में सम्बंधित वित्तीय वर्ष के लाभ के वास्तविक शेष का; तथा
c) नगद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नगद प्रवाह का है |

[illegible] के आधार पर भोपाल को–आपरेट्रिव सेन्ट्रल बैक लि0 भोपाल को "अ" वर्गीकरण प्रदान किया जाता है।कुल प्राप्तांक 100 मे से 75.75 है।

अन्य वैधानिक तथा नियमन आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते बैंकिंग अधिनियम 1949 की तीसरे अनुसार बनाये गए हैं।

ऊपर बताये गए पैरा एक तथा दो की सीमाओं के अलावा तथा राज्य के ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1949 के आवश्यकता पर प्रतिवेदन :

a) हमने अंकेक्षण के सन्दर्भ में समस्त विवरण जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अनिवार्य हैं, प्राप्त किये हैं|
b) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार क्षेत्र में पाए गये हैं|
c) तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं|
d) अन्य वैधानिक तथा नियमन आवश्यकतों पर प्रतिवेदन अनुछेद- अ के अनुसार हैं ।

For Agrawal Kanhere Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No.:008165C

CA Ashok Kumar Agrawal
Partner
Membership No.:075857

Place: Bhopal
Date: 31.07.17

वर्ष 2016-17 के लिए [illegible]
वर्गीकरण "अ" की पुष्टि की जाती है।
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ,
भोपाल संभाग, भोपाल

कृष्णा मर्कैन्टाईल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भोपाल
स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2017

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2016	पूंजी एवं देनदारियां	राशि रू.(क्रेडिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2017
	1.अंशपूंजी		8654730.00
	अधिकृत अंशपूंजी		
	(1,00,00,000)		
8559655.00	भुगतानयोग्य अंशपूंजी	8644555.00	
10175.00	नाममात्र सदस्यता फीस	10175.00	
	2.रक्षित एवं अन्य निधियां		40240819.64
13663122.81	रक्षित निधि	14354622.81	
4024872.67	भवन निधि	4024872.67	
7400369.56	बी.बी.डी. रिजर्व फण्ड (एन.पी.ए.)	10129636.56	
3474523.00	प्रावधान स्टेर्न्डड ऐसेट्स	3790523.00	
2921464.00	प्रावधान सब–स्टेर्न्डड ऐसेट्स	2930494.00	
2501976.77	निवेश ह्रास निधि	2501976.77	
1183469.00	ओव्हर ड्यु ब्याज रक्षित	1886855.00	
621838.83	डिविडेन्ड इक्वीलाइजेशन फण्ड	621838.83	
	3.अमानते एवं अन्य खातें		74074952.48
17903382.61	चालू खातें	19841198.93	
686762.65	सन्ड्री डिपाजिट	654065.49	
10108.69	क्रेडिट बेलेन्स इन सी.सी.लिमिट	0.00	
0.00	क्रेडिट बेलेन्स इन ओ.डी. विरूद्ध सिक्युरिटी	881.00	
3487407.52	सेविंग्स सोसायटी	1419554.00	
49259826.27	बचत खाता	52159253.06	
0.00	डिफ खाता	0.00	
	सावधि एवं अन्य जमा		115877164.50
2969407.00	मासिक आय योजना	2969407.00	
16493792.66	फिक्सड डिपाजिट	20332675.66	
81435523.19	डबल डिपाजिट	91551664.84	
511255.00	कम्पलसरी जमा	491317.00	
719700.00	आर्वती जमा	532100.00	
	4. अन्य देनदारियां		2282652.51
0.00	टी.डी.एस खाता	508382.00	
0.00	सर्विस टैक्स	35623.51	
0.00	सन्ड्री केडिटर्स	0.00	
0.00	डी.डी.इशु	171.00	
1869166.00	डिविडेन्ट पेयबल	1738476.00	
	5. बैंक ग्यारंटी (कान्ट्रा)		2600000.00
2100000.00	बैंक ग्यारंटी (कान्ट्रा)	2600000.00	

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2016	पूंजी एवं लेनदारियां	रकम (डेबिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2017
	1. नगदी सिलक		2535214.00
4595583.00	नगदी सिलक	2535214.00	
	2. बैंको के चालू खातों के बेलेन्स		35418014.15
5375228.00	भारतीय रिजर्व बैंक	1455241.00	
18595168.43	आई.डी.बी.आई. बैंक	7655628.22	
25353.00	भारतीय स्टेट बैंक एम.पी.नगर शाखा	25353.00	
657847.00	केनरा बैंक एम.पी.नगर शाखा	169308.00	
12013675.83	एक्सीस बैंक (न्यु)	6839980.04	
1939075.00	आई.डी.बी.आई. बैंक सी.टी.एस. क्लीयरिंग	9638485.25	
8122464.99	एक्सीस बैंक आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.	9321525.64	
429338.00	पंजीब नेशनल बैंक हबीबगंज शाखा	312493.00	
	3. निवेश		76000000.00
	(अ) अन्य बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट		
0.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7000000.00	
10000000.00	एफ.डी.आर. आई.डी.बी.आई. बैंक	27000000.00	
7000000.00	एफ.डी.आर. केनरा बैंक	7000000.00	
7000000.00	एफ.डी.आर. पंजाब नेशनल बैंक	7000000.00	
10000000.00	एफ.डी.आर. युको बैंक	7000000.00	
7000000.00	एफ.डी.आर.युनियन बैंक ऑफ इंडिया	7000000.00	
0.00	इलाहाबाद बैंक	7000000.00	
0.00	आन्ध्रा बैंक	7000000.00	
	(ब) अन्य बैंकों के शेयर खरीदे		0.00
1500000.00	अंश पुंजी भोपाल को–ऑप.सेन्ट्रल बैंक	0.00	
	(स) आई.डी.बी.आई. सब–जन.लेजर खाते (शास.प्रतिभूति)		49871000.00
49871000.00	आई.डी.बी.आई. सब–जन.लेजर खाते	49871000.00	
	4.बैंक ग्यारंटी इश्यु		2600000.00
2100000.00	बैंक ग्यारंटी	2600000.00	
	5. ऋण तथा अग्रिम		87985163.88
767077.00	पर्सनल लोन	1022742.00	
25021.00	उपभोक्ता ऋण	25021.00	
161066.00	एफ.डी.आर. के विरूद्ध ऋण	326584.00	
27762.00	अधिविकर्ष ऋण	27762.00	
5727126.00	मध्यम अवधि ऋण	4870864.00	
28638264.65	नगद साख सीमा	33242681.87	
8669348.00	वाहन ऋण	7237307.00	
14708152.00	गृह ऋण	11844914.00	
722931.85	प्रतिभूति विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण	786958.76	

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2016	पूंजी एवं देनदारियां	राशि रू.(क्रेडिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2017
	8. अन्य मांग देनदारियां		9339936.13
26912.00	ऑडिट फीस फॉर रजिस्ट्रार	0.00	
235168.96	क्लीयरिंग सस्पेन्स	147384.96	
1636459.47	पेमेन्ट आर्डर	5396839.17	
235000.00	मिसलेनियस प्रावधान	235000.00	
173703.27	टैक्स प्रावधान	0.00	
1666130.00	प्राविजन फार दैनिक जमा खात	1666130.00	
1227930.00	ऐक्सिस बैंक डी.डी.पेएबल	1894582.00	
1000000.00	एडवांस इन्कम टैक्स	0.00	
	9.देने योग्य ब्याज (सावधि जमा एवं अन्य जमाओ का प्रावधान		2883542.16
2968891.16	एक्यु. ईन्ट्रेस्ट पेयेबल अकाउन्ट	2883542.16	
1873441.00	सावधि जमाओं पर भुगतान योग्य ब्याज	0.00	
	10. शुद्ध लाभ खातें		7242886.19
	आय एवं व्यय		
1110929.88	शुद्ध लाभ –2012–2013	1110929.88	
1409805.68	शुद्ध लाभ –2013–2014	1409805.68	
840733.59	शुद्ध लाभ –2014–2015	840733.59	
2765977.68	शुद्ध लाभ –2015–2016	1004427.68	
48000.00	बिक्री की गई अनुपयोगी सामग्री	48000.00	
0.00	शुद्ध लाभ –2016–2017	2828989.36	
239026880.92	**Total**	**263196683.61**	**263196683.61**

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2016	पूंजी एवं लेनदारियां	रकम (डेबिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2017
8952834.00	संपत्ति के विरूद्ध ऋण	7931541.50	
18755877.59	संपत्ति के विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण	20668787.75	
	6. ऋणों पर ब्याज प्राप्य		1886855.00
23115.00	व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज प्राप्य	37135.00	
44895.00	उपभोक्ता ऋण पर ब्याज प्राप्य	55841.00	
27508.00	अधिविकर्ष ऋण पर ब्याज प्राप्य	27508.00	
55695.00	मध्यमअवधि ऋण पर ब्याज प्राप्य	0.00	
865282.00	नगद साख सीमा पर ब्याज प्राप्य	1392824.00	
79020.00	वाहन ऋण पर ब्याज प्राप्य	133044.00	
87954.00	संपत्ति के विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण पर ब्याज प्राप्य	240503.00	
	7. सावधि जमा खातों पर ब्याज प्राप्य		3362108.00
1621767.00	सावधि जमाओं पर ब्याज प्राप्य	2355789.00	
1118242.00	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्य	1006319.00	
	8. फर्नीचर एवं फिक्चर		736115.54
840071.54	डेड स्टॉक	736115.54	
	9. अन्य लेनदरिया		2802213.04
332128.00	स्टेशनरी स्टॉक खाता	306528.00	
411895.00	परिशोधन शास. प्रतिभूतियो का	373177.00	
139115.04	इनपुट केडिट सर्विस टैक्स	113008.04	
	अन्य आस्तियॉ	2009500.00	
239026880.92	**कुल योग**	**263196683.61**	**263196683.61**

हस्ता/-
खरे पामेचा एण्ड कंपनी
चाटर्ड एकाउन्टेंट

हस्ता/-
पी.एन. गुप्ता
प्रबंधक

हस्ता/-
संचालक

हस्ता/-
एस.एस. यादव
अध्यक्ष

अग्रेषित
हस्ता/-
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल

निर्गमित किया

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, भोपाल संभाग
भोपाल

कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लिमिटेड भोपाल

आय– व्यय पत्रक 31/03/2017

कुल व्यय	बेलेन्स 31/03/2017	कुल आय	बेलेन्स 31/03/2017
डाक तार व्यय	6334.00	लॉकर किराया	63396.00
बीमा व्यय	108844.00	सावधि जमाओं अन्य अन्य बैंकों पर ब्याज प्राप्य	3147350.08
भवन किराया एवं करं	1664611.00	ऋण प्रोसेसिंग फीस	29561.00
पैनल्टी इन्कम टेक्स एवं सर्विस टेक्स	78700.00	लाभांश प्राप्त भोपाल को–ऑप.से.बैंक	67500.00
बिजली शुल्क व्यय	149629.00	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्य	4348827.00
अखबार एवं पत्रिकाओं पर व्यय	9919.00	शेयर एन्ट्री एवं एप्लीकेशन फीस	16960.00
छपाई औरं स्टेशनरी व्यय	73672.00	जनरल इंश्योरेन्स कमीशन	51154.00
जलपान व्यय	199799.00	आकस्मिक आय	1195614.61
विविध खर्चे	55697.00	ऋणों से प्राप्त ब्याज	9657705.00
वाहन भत्ता व्यय	79947.00	अन्य प्राप्त	
वार्षिक रखरखाव व्यय	85401.75	टेक्स प्रोविजन से स्थानांतरित आय	173703.27
लीगल फीस एडवोकेट व्यय	14500.00	सावधि पर परिपक्वता पर ब्याज	1873441.00
प्रचार –प्रसार पर व्यय	106607.00	भुगतान नही किया	
मरम्मत एवं नवीनीकरण	34490.00	बैंक चार्जेस आय अन्य बैंक्स	1956.40
सतत अंकेक्षण फीस	66565.00		
एडवांस टैक्स कन्सलटेंसी फीस	62000.00		
केरम प्रतियोगिता एवं अन्य खर्च	41619.00		
डी.आई.सी.जी.सी.प्रिमियम चार्ज	197547.00		
बैक लाइसेंन्स नवीनीकरण फीस	22500.00		
वार्षिक आमसभा खर्च	117177.00		
टेलीफोन एवं टेलेक्स खर्च	60767.00		
सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट	316475.25		
अपील और अन्य शुल्क	10000.00		
जल प्रबंधन व्यय	20160.00		
आडिट फीस फार रजिस्टार	4438.00		
प्राफेसनल टैक्स रिटर्न फाइल फीस	13544.00		
जमाओं पर ब्याज भुगतान			
ब्याज भुगतान बचत खातों पर	1624936.00		
ब्याज भुगतान एफ.डी.आर. खातों पर	7167957.00		
वेतन एवं भत्ते	2112723.00		
ब्याज भुगतान आवर्ती खातों पर	5172.00		
प्रावधान			
अचल संपत्ति का मूल्यह्रास	166906.00		
परिशोधन शास. प्रतिभूतियो का	38718.00		
प्रावधान सब स्टेण्डर्ड ऐसेटस	9030.00		
प्रावधान स्टेण्डर्ड ऐसेटस	316000.00		
बी.बी.डी. रिजर्व फण्ड (एन.पी.ए.)	2729267.00		
विविध व्यय	14.00		
एस.एम.एस.व्यय	26273.00		
जमाओ पर ब्याज भुगतान	240.00		
शुद्ध लाभ –2016–2017	2828989.36		
कुल योग	20627168.36	कुल योग	20627168.36

हस्ता/-
खरे पामेचा एण्ड कंपनी
चाटर्ड एकाउन्टेंट

हस्ता/-
पी.एन. गुप्ता
प्रबंधक

हस्ता/-
संचालक

अग्रेसित
हस्ता/-
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल

हस्ता/-
एस.एस. यादव
अध्यक्ष

कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता, अंकेक्षक प्रमाणित करता हूँ कि मैने कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल पंजीयन क्रं. 05/97 दिनांक 24/7/97 का वर्ष 2016–2017 को अंकेक्षण पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेष द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही है तथा बैंक में सुरक्षित है।

मेरे द्वारा कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल का दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होने लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ हानि पत्रक की जांच संबंधित लेखाओं से की गई।

अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं साथ में संलग्न आक्षेपों तथा स्थिति विवरण पत्रक पर अंकित टीप के अधीन है।

1. मेरे मत से बैंक का व्यवसाय आमतौर से अच्छी तरह से विधिवत तथा ईमानदारी से व उपनियमों व प्रावधानों के अनुसार तथा सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिग रंग्यूलेषन एक्ट 1949 की आवष्यकता के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्णरूपसे स्पष्ट है एवं इसमें आवष्यक सभी जानकारीयां जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्षातं है। जो जानकारी बैंक की स्थिति को दर्षाते है का समावेष किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी अधिकोष के लेखा पत्रों खांतो में दर्षायी गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।
3. मुझे अंकेक्षण के दौरान जिस जानकारी व स्पष्टीकरण की जब आवष्यकता हुई, समय–समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार है।
4. अधिकोष के व्यवहार, जो मेरी जानकारी में आये वे सभी अधिकोष की कार्यसीमा में किये गये है। अधिकोष के लाभ हानि प्रत्रक प्रस्तुत टीप के अनुसार पाये गये।
5. अंकेक्षण हेतु जो भी पत्रक एंव लेखा बैंक से बुलाये गये या प्राप्त किये गये सभी पूर्ण एंव पर्याप्त है।
6. मेरे मत से अधिकोष का स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि पत्रक टीप नियमों के अनुरूप बानये गये है तथा हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों का आवष्यकतानुसार रखे गये है ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाता बहिया, जिनके आधार पर पत्रक तैयार किय गये है की सूची बैंक में उपलब्ध है।

अतः में अधिकोष को पंजीयक सहकारी समितियां, मध्यप्रदेष द्वारा प्रसारित निर्देषों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2016–2017 के अंकेक्षण में बैंक को 'अ' वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

स्थान – भोपाल
दिनांक 02/09/2017

सही/–
(खेर पामेचा एण्ड कंपनी)
चार्टड एकाउन्टेंट
कृष्णा मर्केन्टाईल को. ऑप. बैंक लि.,भोपाल

भावांतर भुगतान योजना में अब 5 वर्षों में 3 सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के आंकड़े को औसत फसल के लिए मान्य किया जाएगा

किसान कल्याण विभाग ने जारी किये आदेश

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय लिया है कि भावांतर भुगतान योजना में प्रदेश के प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिलों में से चयनित फसल के पिछले 5 वर्षों में 3 सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के आंकड़े के औसत वाले जिले को उक्त कृषि जलवायु क्षेत्र में आने वाले समस्त जिलों में मान्य किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। इनमें मालवा का पठार, जिसमें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़ और नीमच जिला शामिल हैं। निमाड़ के मैदानी जलवायु क्षेत्र में धार, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर और हरदा जिला शामिल हैं। कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जिसमें जबलपुर, कटनी, सिवनी, पन्ना, रीवा और सतना जिला शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठार, जिसमें मण्डला, डिण्डोरी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले शामिल हैं। विंध्य के पठार जलवायु क्षेत्र में सागर, दमोह, भोपाल और विदिशा जिले को शामिल किया गया है। मध्य नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद और गिर्द अंचल जलवायु क्षेत्र में मुरैना, श्योपुरकलां, भिण्ड, ग्वालियर और गुना जिले को शामिल किया गया है।

जलवायु क्षेत्र बुंदेलखण्ड पठार में टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया जिले, झाबुआ की पहाड़ियों के जलवायु क्षेत्र में धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिले को शामिल किया गया है। प्रदेश के 10वें जलवायु क्षेत्र सतपुड़ा का पठार में छिन्दवाड़ा और बैतूल जिले को शामिल किया गया है। ग्यारह कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पठार में प्रदेश के अकेले बालाघाट जिले को शामिल किया गया है।

भावांतर भुगतान योजना में 8फसलों को शामिल किया गया है। योजना में 19 लाख 7 हजार 510 रजिस्ट्रेशन किये गये हैं। यह रजिस्ट्रेशन 37 लाख 53 हजार 709 हेक्टेयर में बोई गई फसलों के लिए किए गये हैं। सोयाबीन के लिए 9 लाख 53 हजार 233, उड़द के लिए 5 लाख 62 हजार 333, मक्का के लिए 2 लाख 53 हजार 933, तुअर के लिए एक लाख 832, तिल के लिए 40 हजार 587, मूंगफली के लिये 36हजार 925, मूंग के लिए 12 हजार 762 और रामतिल फसल के लिए 3,205 रजिस्ट्रेशन कराए गये हैं। योजना में अंतर की राशि किसान के बैंक खाते में जमा करवाई जा रही है। किसानों को इसकी सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत क्षेत्र में फसल की औसत उत्पादकता के गुणन के आधार पर कुल फसल 60 लाख 82 हजार मीट्रिक टन अनुमानित की गई है। पंजीकृत किसानों की उपरोक्त फसल मात्रा भावांतर भुगतान योजना के दायरे में आयेगी। इसमें से 38लाख 42 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन, 12 लाख 92 हजार मीट्रिक टन मक्का, 6लाख 96हजार मीट्रिक टन उड़द, एक लाख 29 हजार मीट्रिक टन तुअर, 81 हजार मीट्रिक टन मूंगफली, 37 हजार मीट्रिक टन तिल, 8हजार मीट्रिक टन मूंग और 2 हजार मीट्रिक टन रामतिल की फसल शामिल है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों की आय को दो गुना किया जाए

उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नये-नये प्रयोगों से भी कृषकों को अवगत किया जाये।

प्रदेश में किसानो के हितार्थ में लागू की गई महत्वपूर्ण भावान्तर योजना का उल्लेख करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि अब किसानों को उनकी उपज का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का नगद भुगतान किया जा रहा है। बैंकों को पर्याप्त पैसा भी उपलब्ध कराया है। कलेक्टर एवं कृषि विभाग का मैदानी अमला इस पर ध्यान रखें कि किसानों को 50 हजार रूपये तक का नगद भुगतान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आये। किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधडी ना हो इसके लिए कलेक्टर मंडी में पहुंच कर किसानों एवं व्यापारियों से चर्चा करते रहें। श्री मीणा ने कहा कि कम वर्षा से फसल प्रभावित हो सकती है हमारें प्रयास रहें कि रवि फसल के दौरान शत् प्रतिशत पात्र किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा हो जाये।

कृषि संचालक श्री मोहन लाल मीणा ने कृषि योजनाओं पर पावर प्रजेन्टेशन को दिखाते हुये कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ हो इसके साथ ही फसल प्रदर्शन से लेकर उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण आदि का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर समय पर फीड करते रहें। कृषि संचालक ने कहा कि किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चि करायें जहां खाद-बीज की कमी हो अभी से मांग करे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर खाद-बीज के भण्डारण वितरण की समीक्षा समय समय पर करते रहें। उन्होंने खाद-बीज और कीटनाशक औषधि के लगातार सैंपल लेते रहें। बैठक में अमानक खाद-बीज के प्रकरणों में कार्यवाही नहीं होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि जिस कंपनी के खाद-बीज घटिया अमानक पाये जाएँ, उनके खिलाफ सीधे एफआई.आर की कार्यवाही की जाये। खाद-बीज बेचने वाली संस्थाओं के लाईसेंस खत्म करे साथ ही बसूली भी करे। उन्होंने शत् प्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरण करने पर भी जोर दिया। बैठक में दोनों संभागों में जिलेवार खरीफफसल की स्थिति एस.पी. एवं रवी फसल की तैयारियों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन के जरिये विस्तार से जानकारी दी गई।

सहकारिता के प्रमुख सचिव श्री के.सी गुप्ता ने कलेक्टरों से कहा कि पात्र किसानों को 0 प्रतिशत लोन लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसान के द्वारा एक लाख रूपये का ऋण लेने पर उसे 90 हजार रूपये ही वापस करना होंगें। उन्होंने कहा ऐसे डिफाल्टर किसान जो ऋण चुकता नहीं कर रहे हैं, ऐसे डिफाल्टर किसानों से 11 प्रतिशत ब्याज लेकर बसूली की जावे। श्री गुप्ता ने कहा कि लोन वितरण के लक्ष्य के अनुरूप वितरण करायें। उन्होंने कॉपरेटिव बैंक बसूली पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसमें तहसीलदारों को भी जोडा जाये। कलेक्टरों को यह देखने कि आवश्यकता होगी कि बसूली के प्रकरण पंजीबद्ध हों सभी डी आर एक माह में बसूली प्रकरणों में मामला पंजीबद्ध करें। उन्होंने सहकारिता से जुडनें के लिए सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें श्री रेणु पंत ने कलेक्टरों से कहा कि गोदामों के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करायें। यह योजना 2018तक बढाई गई है। इसकी मॉनीटरिंग के लिए टी.एल. बैठक में ऐजेन्डा भी फिक्स किया जाये ताकि हर सप्ताह इसकी समीक्षा हो सके। उन्होंने कहा अल्पावधि कृषि ऋण वितरण में नगद एवं खाद बीज वस्तु पर ऋण दिया जाता है। जिन जिलों ने वस्तु पर ऋण वितरण नहीं कियें हैं उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किये जायें।

मार्कफेड के एम.डी. श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल ने जोर दिया कि कई सोसायटियां खाद नहीं उठा रहीं हैं। वे नियमित खाद का उठाव करें। उन्होंने सोसायटियों के लाईसेंस के रिनुअल करने तथा जिन सोसायटियों के लाईसेंस नहीं हैं उनको लाईसेंस प्रदान करने के निर्देश दिये। मत्स्य पालन एवं मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री विनोद कुमार ने मत्स्य पालन पर जोर देते हुए कलेक्टरों से रहा कि अधिक से अधिक तालाबों में मत्स्य पालन कराया जाये। उन्होंने कहा कि तालाबों को पट्टे पर देने में बिलम्ब न हो। उन्होंने मछुआ कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड को साथ जोड़ने पर जोर दिया।

उद्यानकी एवं खाद प्रसंस्करण के संचालक श्री सत्यानन्द ने फ्लोरी कल्चर, मसालों तथा औषधी और पॉली हाउस खेती पर जोर दिया। उन्होंने संरक्षित खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री सत्यानन्द ने संरक्षित खेती के अन्तर्गत शेडनेट हाउस के निर्माण कराने पर भी जोर दिया।

डेयरी के सी.ई.ओ. श्री के.के. सक्सेना ने दुग्ध संकलन एवं डेयरी विकास से जुडी प्रगति को बताते हुए कहा कि म.प्र. स्थापना दिवस से म.प्र. दुग्ध संघ से संबंधी ईकाई प्रतिदिन 100 ग्राम दही के पैकिट के विक्रय की शुरूआत करेगा। इससे प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार रूपए का विक्रय होगा। श्री सक्सेना ने बताया कि 26सितम्बर तक मथुरा में 5 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लगाई गई प्रदर्शनी में म.प्र. की प्रदर्शनी को तृतीय पुरूस्कार मिला है। बैठक में पशुपालन के संयुक्त संचालक ने पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

बैठक को कृषि अभियांत्रिकी के संचालक श्री राजीव चौधरी ने भी सम्बोधित किया। ग्वालियर कलेक्टर श्री राहुल जैन, शिवपुरी कलेक्टर श्री तरूण राठी, गुना कलेक्टर श्री राकेश जैन, अशोक नगर कलेक्टर श्री बी.एम. जादोन, मुरैना कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार, भिण्ड कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी और श्योपुर कलेक्टर श्री पन्नालाल सोंलकी ने अपने जिलों की प्रगति से कृषि उत्पादन आयुक्त सहित संबंधित प्रमुख सचिवों एवं संचालकों को अवगत कराया। बैठक में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग श्री डी.डी. अग्रवाल सहित ग्वालियर चम्बल संभाग के कलेक्टर्स, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी से जुडे संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

खाद खरीदी पर 10 प्रतिशत की छूट

बैठक में मार्फेट के एमडी श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने कहा कि सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना के तहत खाद खरीदी में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन-तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 7 भोपाल

सत्र क्र. 8 भोपाल

सत्र क्र. 6 इंदौर

सत्र क्र. 7 इंदौर

सत्र क्र. 7 जबलपुर

सत्र क्र. 7 जबलपुर

सत्र क्र. 8 जबलपुर

सत्र क्र. 8 जबलपुर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।